राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026

(2025 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्राप्त हुई)

जीविका और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वसनीयता आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए और अपराधों का गैर अपराधीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह 7 जनवरी, 2026 को और से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन.- अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों का एतद्वारा उस सीमा तक और उस रीति से, जो उसके स्तंभ (5) में उल्लिखित हैं, संशोधन किया जाता है।

3. व्यावृत्तियां.- इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन ऐसी किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गयी है;

और यह अधिनियम पहले से ही की गयी या भुगती गयी किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों या पहले ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से किसी निर्मुक्ति या उसके उन्मोचन या पहले से ही अनुदत्त की गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम या विद्यमान रूढि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति, को इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि वे इसके द्वारा संशोधित या निरसित किसी अधिनियमिति के द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हैं;

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन किसी भी अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात, जो अब विद्यमान नहीं है या प्रवृत्त नहीं है, को पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1953	13	राजस्थान वन अधिनियम, 1953	(1) धारा 2 के खण्ड (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अधीन दण्डनीय" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई अपराध" से पूर्व अभिव्यक्ति "या शास्ति के लिए दायी" अंत:स्थापित की जायेगी। (2) धारा 26 में,- (i) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) और (ख) हटाये जायेंगे; (ii) विद्यमान उप-धारा (1-क) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:- "(1-ख) जो कोई व्यक्ति किसी आरक्षित वन में,- (क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने की अनुज्ञा देगा, वह वन को हुए नुकसान के लिए, धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति का दायी होगा, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी,; (ख) किसी वृक्ष को गिराये जाने, या काटे जाने या किसी इमारती लकड़ी को खींचे जाने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान कारित करेगा, वह वन को हुए नुकसान के लिए, धारा 68 के अधीन सशक्त वन-अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति के लिए, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।"।

				(3) धारा 33 में,- (i) उप-धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) हटाये जायेंगे; (ii) उप-धारा (1-क) का विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा; (iii) विद्यमान उप-धारा (1-क) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:- "(1-ख) जो कोई व्यक्ति किसी संरक्षित वन में,- (क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो या किसी संरक्षित वन का बन्द प्रभाग हो, के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा, वह वन को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 68 के अधीन सशक्त वन-अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति के लिए, दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी; (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरायेगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति के लिए, दायी होगा, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी।"। (4) धारा 52 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

				"परन्तु यह कि ऐसा वन विषयक अपराध, जिसके बाबत उप-धारा (1) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, अधिनियम की धारा 68 के अधीन शमनीय हो सकेगा, यदि अभिलेख पर यह स्थापित कर दिया जाता है कि अपराध कारित करने वाला (वाले) व्यक्ति और उप-धारा (1) के अधीन अभिगृहीत मशीनरी, आयुध, औजार, नाव, पशु, यानों, रस्सियों, चैन या कोई अन्य वस्तु और कोई व्यक्ति जो ऐसी अभिगृहीत सम्पति में कोई हित रखता है, इस अपराध से पूर्व इस अधिनियम के अधीन किसी वन विषयक अपराध के कारित किये जाने में अन्तर्वलित नहीं रहा है।''। (5) धारा 68 में, - (i) विद्यमान शीर्षक को निम्नलिखित शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "68. अपराधों का शमन और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.- "; (ii) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) में आये शब्द "और" के स्थान पर शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जायेगा; (iii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "(कक) किसी व्यक्ति से, धारा 26 की उप धारा (1-ख) या धारा 33 की उप-धारा (1-ख) के अतिक्रमण के लिए शास्ति या प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे, और"। (6) विद्यमान धारा 87 हटायी जायेगी।
2.	1955	3	राजस्थान अभिधृति	विद्यमान धारा 86 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

			अधिनियम, 1955	"86. विधिविरूद्ध हटाये जाने पर शास्तियां.- जो कोई धारा 83 या धारा 84 के समस्त उपबंधों या उनमें से किन्ही उपबंधों का या तद्धीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों, शर्तो या निर्बंधनों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो सहायक कलक्टर द्वारा, उसको आवेदन या रिपोर्ट किये जाने पर, अधिरोपित की जा सकेगी- (क) प्रथम उल्लंघन की दशा में: (i) जहां कोई वृक्ष हटाया गया है तो हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिए ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ii) अन्य दशा में, ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में,ऐसी शास्ति से जो खण्ड (क) के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की रकम की दोगुनी हो सकेगी; और कोई वृक्ष या उसका काष्ठ जिसकी बाबत ऐसा उल्लंघन कारित किया गया है, राज्य सरकार को समपहृत किया जा सकेगा।"।
3.	1956	26	राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956	(1) धारा 10 में, विद्यमान शब्द, "यदि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि यह पाया जाता है कि" और विद्यमान अभिव्यक्ति "का दोषी रहा है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "के लिए कभी भी धारा 14 के अधीन दण्डित किया गया है" प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अन्त में आये विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर शब्द "; या" प्रतिस्थापित किये जायेंगे और इस प्रकार संशोधित खण्ड (च) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

				"(छ) धारा 14 के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण या धारा 14क के अधीन उल्लंघन का शमन करना।"। (3) विद्यमान धारा 14 के स्थान के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:- "14. शास्ति.- (1) जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या दुष्प्रेरण करता है या प्रयत्न करता है, या तत्समय प्रवृत्त धारा 13 के अधीन जारी की गई किसी भी अधिसूचना के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भाड़ा प्रभारित करता है, तो वह शास्ति, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, के संदाय का दायी होगा, जो नियमों में विहित प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये। (2) उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।" (4) इस प्रकार संशोधित धारा 14 के पश्चात निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात:- "14क. उल्लंघनों का शमन करना.- (1) प्राधिकारी, या तो कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने से पूर्व या उनके पश्चात् अधिरोपणीय शास्ति की अधिकतम रकम से अनधिक ऐसी राशि, जो विहित की जाये, के संदाय पर इस धारा के अधीन किसी उल्लंघन का शमन कर सकेगा। (2) शास्ति का अधिरोपित करने और उल्लंघन का शमन करने की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित

				की जाये।"। (5) धारा 16 की उप-धारा (2) में,- (i) खण्ड (ख) के अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा; (ii) खण्ड (ग) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:- "(घ) प्रशासनिक शास्तियां अधिरोपित करने या उल्लंघनों का शमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; (ङ) शमन के लिए प्रक्रिया और संदेय रकम; और (च) उल्लंघनों का वर्गीकरण और उन पर लागू शास्तियों का मापमान।"।
4.	1958	48	राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958	(1) धारा 29 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किन्हीं भी आदेशों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के विरुद्ध" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 32 के अधीन पारित शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश" अन्तःस्थापित की जायेगी। (2) विद्यमान धारा 32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "32. शास्ति और प्रक्रिया.- (1) जो कोई भी- (क) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागारिक के रूप में कार्य करता है या उक्त रूप में अपने आपको धारित करता है; या (ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं में से किसी का भी जानबूझकर उल्लंघन करता है या पालन करने में

				विफल रहता है, तो वह शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगी जो विहित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् अधिरोपित की जा सकेगी। (2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के किसी निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, द्वारा किया जाता है, वहां उसके कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति शास्ति के लिए दायी समझा जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना या सम्यक् तत्परता के बावजूद कारित किया गया था।"।
5.	1961	25	राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम, 1961	(1) धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "(4) यदि कोई व्यक्ति- (क) उप-धारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश का, पालन करने में, पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है; या (ख) उप-धारा (3) के उल्लंघन में कोई सूचना जानबूझकर प्रकट करता है या प्रकट किया जाना अनुज्ञात करता है, तो वह धनीय शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये: परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान

				किये बिना अधिरोपित नहीं की जायेगी।"। (2) विद्यमान धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा 9 जोड़ी जायेगी, अर्थात्:- "9. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।"।
6.	1962	12	राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962	(1) धारा 9 में, - (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराये जाने पर दौ सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी" प्रतिस्थापित की जायेगी; (ii) उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा; (iii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर 1000/- रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी" प्रतिस्थापित की जायेगी; (iv) उप-धारा (2) में विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा; (v) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:- "(3) जहां उप-धारा (1) और (2) में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा कारित किया जाता है, वहां प्रत्येक अधिकारी जो ऐसा उल्लंघन किये

				जाने के समय, कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, साथ ही कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन कारित करने के लिए उत्तरदायी समझी जायेगी और अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और तद्नुसार दण्डित किये जाने की दायी होगी: परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों में दण्डनीय नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया या यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किये जाने को निवारित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी। (4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उप-धारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या, मौनानुकुलता से या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन का उत्तरद्वायी समझा जायेगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा। स्पष्टीकरण.- उप-धारा (3) और (4) के प्रयोजनार्थ,- (क) "कम्पनी" से कोई निगमित

				निकाय अभिप्रेत है और उसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य कोई संगम सम्मिलित है, और (ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है। (5) इस धारा के अधीन शास्ति, आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। (6) इस धारा के अधीन कोई शास्ति, तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।"। (2) विद्यमान धारा 9क हटायी जायेगी।
7.	1964	1	राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963	(1) विद्यमान धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "40. धारा 5, धारा 22 की उप-धारा (1), (2), (3), धारा 23, 30 और 37 के उल्लंघन के लिए शास्ति.- जो कोई भी धारा 5, धारा 22 की उप-धारा (1), (2), (3), धारा 23, 30 और 37 में अंतर्विष्ट किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है या उसका उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, तो वह- (क) प्रथम उल्लंघन के लिए, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जायें ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी, (ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें ऐसी शास्ति से जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी,

				का दायी होगा।" (2) विद्यमान धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:- "42. कतिपय अपराधों का संज्ञान.- इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार द्वारा की गई शिकायत के बिना नहीं करेगा।"। (3) धारा 43 में,- (i) उप-धारा (1) की सारणी के विद्यमान द्वितीय स्तंभ में, जहां कहीं भी आये, अंक "40" को, हटाया जायेगा; (ii) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "(2) रजिस्ट्रार, धारा 22 की उप-धारा (4) या उप-धारा (5), धारा 29, धारा 38 और धारा 39 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाही संस्थित किये जाने से पूर्व या उसके पश्चात् ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिस पर उक्त अपराध करने का आरोप लगाया गया है, अपराध के शमन के रूप में स्वीकार कर सकेगा।"।
8.	1992	19	राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989	विद्यमान धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "34. सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के लिए शास्ति.- (1) जहां कोई व्यक्ति, धारा 9 की उप–धारा (3) या धारा 12 के उपबंधों के अनुपालन में विफल रहता है या, जहां ऐसी विफलता किसी संगम द्वारा की जाती

				है वहां, ऐसी विफलता के लिए उत्तरदायी प्रबंध समिति का प्रत्येक सदस्य, ऐसा व्यक्ति, ऐसी प्रशासनिक शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, का संदाय करने का दायी होगा: परन्तु प्रबंध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का दायी नहीं होगा। (2) इस धारा के अधीन शास्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति या संगम को सुनवाई का युक्तिक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अधिरोपित की जायेंगी।
9.	1998	14	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998	(1) अध्याय 7 का विद्यमान नाम "दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "शास्ति, दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया"। (2) धारा 73 में,- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे प्रत्येक अतिक्रमण के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; (ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी

				होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 74 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (4) धारा 78 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 79 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) विद्यमान धारा 81 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "81. धारा 85 के उपबंधों के भंग के लिए शास्ति.- जो कोई व्यक्ति धारा 85 के उपबंधों का भंग करता है, वह ऐसी शास्ति के लिए, जो निम्नानुसार है, - (i) प्रथम भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी; (ii) द्वितीय भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, किन्तु जो दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी; और (iii) तृतीय और पश्चात्वर्ती भंग

				के लिए ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।"। (7) धारा 82 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) धारा 83 में, - (i) विद्यमान शीर्षक "83. अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.-" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:- "83. शास्ति का अधिरोपण, अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.-"; (ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात निम्नलिखित नयी उप-धारा (4) जोड़ी जायेगी, अर्थात:- "(4) अध्याय 7 के अधीन कोई भी शास्ति ऐसे अधिकारी द्वारा, जो कलक्टर की रैंक से नीचे का न हो, अधिरोपित नहीं की जायेगी।"। (9) धारा 87 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने विहित कर सकेगी, जो किसी भी मामले में, पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होंगे।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने या शास्ति विहित कर सकेगी, जो किसी भी दशा में, पांच हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी," प्रतिस्थापित की जायेगी।

10.	2009	18	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009	(1) धारा 126 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 169 में,- (i) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसी और शास्ति, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (ii) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होंगे।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, और ऐसा कृत्य जारी रहने की

				दशा में, ऐसी और शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा कृत्य जारी रहता है, दो सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 171 की उप-धारा (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसी और शास्ति, जो दो सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (4) धारा 183 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 189 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और ऐसी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा,

				दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त शास्ति, जो पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) धारा 194 की उप-धारा (9) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने के मामले में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये से, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो तीस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये की शास्ति का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (7) धारा 196 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) धारा 197 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ऐसे

				और जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और प्रथम उल्लंघन के लिए दण्डित किये जाने की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, ऐसी और शास्ति, जो पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (9) धारा 202 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (10) धारा 209 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि होने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना के मामले में बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना की दशा में बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (11) धारा 254 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये

				तक का हो सकेगा और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसे और जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके लिए अपराधी के लिए यह सिद्ध हो कि वह लगातार अपराध करने में संलग्न रहा है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसी और शास्ति, जो उस उल्लंघन की तारीख के पश्चात्, जिसके लिए वह दण्डित किया गया है, प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (12) धारा 259 में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "शास्ति, जो पांच हजार रुपये से कम की नहीं होगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (13) धारा 260 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, तथा ऐसी और शास्ति, जो प्रथम विफलता के लिए दण्डित किये जाने की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता

				जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (14) धारा 262 के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (15) धारा 266 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक सौ रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (16) धारा 267 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (17) धारा 268 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और इसके पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की

				नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, और यदि शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् वही व्यक्ति उपर्युक्त उल्लिखित निदेशों के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है तो, वह ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी। (18) धारा 278 की उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी। (19) धारा 280 की उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (20) धारा 291 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

11.	2018	24	जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018	(1) धारा 59 की उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की या अधिकतम दस हजार रुपये से अधिक की नही होगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 60 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 61 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (4) धारा 62 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी

				शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 63 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) धारा 64 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी, जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (7) धारा 66 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) विद्यमान धारा 69 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "69. शास्ति के लिए साधारण उपबंध.- (1) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों

				के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है, जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नही की गयी है, वह,- (क) प्रथम उल्लंघन के लिए, ऐसी शास्ति का, जो अधिकतम पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ख) द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए, ऐसी शास्ति का, जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा। (2) इस धारा और धारा 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 66 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ऐसे अधिकारी में निहित होगी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अभिहित करे।"।

राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमुख शासन सचिव।